न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.), सरायपाली जिला महासमुन्द (छ0ग0) द्वारा जमानत आवेदन क्र0 543/2022 (मोहम्मद लियाकत विरूद्ध— छ0ग0 राज्य) में दिनांक 13.10.2022 को पारित आदेश की प्रतिलिपि :—

मोहम्मद लियाकत पिता मोहम्मद अय्युब उम्र 22 वर्ष
निवासी वार्ड नंबर 06 ईस्लाम मोहल्ला सरायपाली
थाना/तहसील सरायपाली
जिला—महासमुंद (छ0ग0).. **आवेदक**

—विरूद्ध—

छ0ग0 राज्य द्वारा,
आरक्षी केन्द सरायपाली
अपराध क. 287/2022
दा0प्र0क्र0 40/2022 .... **अनावेदक**

13.10.2022 आवेदक द्वारा श्री बीरेश भोई अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा श्री आर.एल. पटेल विशेष लोक अभियोजक।

प्रकरण जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

जमानत आवेदन के साथ आवेदक को अपना **पति** होना बताते हुए **यामिनी उर्फ यास्मीन** का शपथ पत्र पेश किया गया है। उक्त शपथ पत्र में यह उल्लेखित है कि आवेदक की ओर से धारा 439 दं.प्र.स. के तहत यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 या 439 द.प्र.स. किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन नहीं है।

आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को थाना सरायपाली द्वारा दिनांक 19.07.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल महासमुंद भेज दिया गया है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक पर अधिरोपित अपराध मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदक अपने परिवार के एकमात्र आय अर्जित करने वाला सदस्य है जिसके लंबे समय तक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने से उसके परिवार को आर्थिक संकटो का सामना करना पड़ सकता है। आवेदक वार्ड क्रमांक 06 ईस्लाम मोहल्ला सरायपाली जिला महासमुंद छ.ग. का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक जमानत पर रिहा होना चाहता है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार कर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जावे।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री आर.एल. पटेल द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क किये है कि आवेदक के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है तथा विवेचना जारी है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जावे।

उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदन पर विचार किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से आवेदक की संलिप्तता प्रथम दृष्टया एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21 के अपराध में दर्शित होती है। अभिलेख के अनुसार घटना दिनांक 19.07.2022 को समय 19.40 बजे की है। अभिलेख के अनुसार इस्लाम मोहल्ला तालाब किनारे सरायपाली के पास आवेदक एवं सहअभियुक्तगण

के कब्जे से अवैध रूप से **90 नग Pentazocine impule injection IP-30 mg/ml तथा 126 नग PETAZOCINE LACTATE INJECTION IP-01 ML, एव Nitrazepam Tablets IP Nitrosun-10 mg 300 Tablets** बिक्री हेतु रखे थे। अभिलेख के अनुसार आवेदक एवं सहअभियुक्तगण के संयुक्त के कब्जे से उक्त इंजेक्शन एवं टेबलेट की जप्ती की गई है। इस प्रकार आवेदक एवं सहअभियुक्तगण द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध होना दर्शित है।

उक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक **मोहम्मद लियाकत** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. **निरस्त** किया जाता है।

जमानत प्रकरण का परिणाम जमानत पंजी में विधिवत दर्ज किया जावे।

प्रकरण आरोप पर तर्क हेतु नियत है।

उभय पक्ष द्वारा आरोप पर तर्क प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण आरोप विरचन हेतु थोड़ी देर पश्चात रखा जावे।

सही/–
(श्रीमती शोभना कोष्टा)
विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस सरायपाली
जिला–महासमुन्द(छ0ग0)